न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

बईजलास श्वेता यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर कोटपूतली

वाद पत्र संख्या – 179/2016

भैरूलाल पुत्र देवा जाति भील निवासी धेवदिया तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा, राजस्थान।

———— वादी

बनाम

1. भैरू पुत्र मुरली जाति मीणा, निवासी पाथरेडी तहसील– कोटपूतली जिला जयपुर
2. लक्ष्मण पुत्र रिछपाल
3. जयदयाल पुत्र रिछपाल
4. राजेन्द्र पुत्र भगवाना
5. सांवता पुत्र भगवाना

   समस्त जाति गुर्जर, निवासी– ढाणी तिकुडा की, ग्राम– पाथरेडी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज.)
6. महेन्द्र सिंह
7. नरेन्द्र सिंह
8. गजेन्द्र सिंह
9. गोपाल सिंह पुत्रान जयसिंह जाति राजपूत, निवासी– ढाणी कीरतपुरा, ग्राम– पाथरेडी, तहसील – कोटपूतली, जिला जयपुर (राज.)
10. अंतर पुत्री मंगेज सिंह पत्नि श्री मूल सिंह
11. रूकमणी पुत्री मंगेज सिंह पत्नि श्री रामसिंह जाति राजपूत, निवासी–गांगवा, तहसील–मकराना जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

12. सदाकंवर पुत्री मंगेज सिंह पत्नि श्री मोहनसिंह जाति राजपूत, निवासी–खोरा कलां, जिला–दौसा।

13. लालचंद

14. सुरेश चंद जाति–गुर्जर, निवासी–ढाणी तिकुटा, पाथरेडी, तहसील–कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली।

----- प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं तकास्मा

निर्णय दिनांक 3/4/18

वकील वादी ने एक वाद बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा_पेश कर निवेदन किया हाल आराजी खसरा नम्बर 1714/0.8800, 1715/0.8500, 1716/1.8300 कुल किता 3 रकबा–3.56 हैक्टेयर वाके ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली में स्थित है। जिसका वादी हिस्सा 74/356 का खातेदार काश्तकार है। प्रेम पुत्री मंगेज सिंह फौत हो चुकी है, जिसके वारिसान प्रतिवादीगण 6 लगायत 9 है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 की यह सहखातेदारी की भूमि है, कोई भी खातेदार कहीं भी कब्जा कर किसी भी खातेदार को परेशान कर सकता है। इस सहखातेदारी का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण 01 लगायत 14 वादी को आये दिन परेशान करते है, उसकी भूमि पर कब्जा कर लेते है, डोल तोड लेते हैं, विरोध करने पर सहखातेदारी होने का दम भरते है। बेचान करने की धमकी देते है। सहखातेदारी होने से प्रतिवादीगण 014 लगायत 14 वादी को परेशान करते है उसको शांतिपूर्वक उसकी भूमि का हिस्सा दबा लेते है, ऐसी स्थिती में वादी को अपने हिस्से की भूमि का तकास्मा करवाया जाना अति आवश्यक है, लेकिन राजीखुशी तकास्मा करवाने हेतु तैयार नहीं हैं। अतः वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

मुतफारक

हमने वकील वादी की बहस सुनी । वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1714/0.8800, 1715/0.8500, 1716/1.8300 कुल किता 3 रकबा–3.56 हैक्टेयर वाके ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली की विवादित आराजियात का वादी रिकोर्डेड सह खातेदार है। वादी 74/356 हिस्से का सहखातेदार है। वादी मौके पर मुताबिक बाहमी बंटवारा काबिज कास्त है। अतः वादी का डिक्री फरमावें।

हमने वकील वादी की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । दावा तकास्मा का है। वादी वादग्रस्त आराजी के 74/356 का सहखातेदार कास्तकार है तथा मोके पर काबिज है,तथा शेष भूमि पर प्रतिवादीगण जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज है, ऐसी स्थिती में प्रकरण में वाद दिनांक 19.01.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से कुर्रेजात रिपॉर्ट मंगवाई गई, दिनांक 21.02.2017 को तहसीलदार से कुर्रेजात रिपॉर्ट प्राप्त हुई। हमने कुर्रेजात रिपॉर्ट पर वकील वादी को सुना, कुर्रेजात रिपॉर्ट का अवलोकन किया। चूकि वाद तकास्मा का है अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपॉर्ट वाद डिक्री किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपॉर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपॉर्ट निर्णय का भाग रहेगा एवं निर्णय के साथ पढा जाएगा। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार होकर तहसीलदार कोटपूतली का इस आशय की तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 3/4/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)